न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 34 / 2018

1. महेन्द्र पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र गुलाबराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. काशीराम पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. महिपत पुत्र मुन्शीराम जाति जाट गोदारा निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत निमला तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.10.2018 प्रकरण स0 37 / 2017 बअनवानी बृजलाल आदि बनाम महेन्द्र आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर

उपस्थितिः– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 25.03.2021

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. निर्णय दिनांक 05.10.2018 प्रकरण स0 37 / 2017 बअदालत श्रीमान प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर बअनवानी बृजलाल आदि बनाम महेन्द्र आदि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित एवं गैर कानूनी ढंग से पारित होने से अपास्तनीय है।
2. अप्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में कथन किया गया कि गांव थिराना में काशीराम कस्वा के मकान के पास स्थित गुहाड से चिकित्सालय तक गांव में से होती हुई गलिया जाती है। उक्त गली काशीराम के मकान के पूर्व के प्लॉट के आगे से सिधी पश्चिम से पूर्व शमा के प्लाट के पास से होती हुई आगे चिकित्सालय को जाती है। काशीराम कस्वा के मकान से नारायण दास, आसदास, सोहनदास, बृजलाल व महिपत के प्लाट पास से गुजरती हुई उक्त गली पर नारायण दास के मकान के दक्षिण की और प्रार्थी महेन्द्र ने मकान बना रखा है और गली इस जगह से बंद है महेन्द्र ने नारायण दास के पटटा शुदा भूखण्ड के दक्षिण की और 16 फीट चौड़ाई में गली को सम्मलित करते हुए

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 22.05.2017 को पटटा बना लिया मातहत अदालत ने सड़क का गलियान पर जारी पटटा दिनांक 22.05.2017 को गैर कानूनी ढंग से खारीज कर दिया जबकि सायल का कब्जा शुद्धा मकान करीबन 60 वर्ष पुराना है। तथा सायल के पिता द्वारा उक्त मकान निर्मित किया गया है। जिसके कब्जा शुदा भूखण्ड का ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.07.2017 को विधिवत तौर से पटटा बनवाया था। अप्रार्थीगण द्वारा याचित रास्ता पर कभी कोई आवागमन नही रहा तथा प्रार्थी के भूखण्ड में कभी कोई 16 फुट गली नही रही है। प्रार्थी का भूखण्ड के पिदे भी कई लोगों के मकान बने है। लाईन बन्दी में है मातहत अदालत ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

3. सोहनलाल, आसदास, नारायणदास के भूखण्ड प्रार्थी की उतर में स्थित 16 फुट गली जो उक्त तीनों के दक्षिण में 16 फुट गली जो प्लाट में दिखाई गई है। उक्त गली सम्मिलत कर दिनांक 26.12.1979 नारायणदास, सोहनदास और आसदास ने उक्त गली को अपने भूखण्ड में सम्मिलित करते हुए अपने मकानात बना अपने मकानात बना लियें। यदि उक्त तीनों भूखण्डों का नाप जोख या पैमाईश करवायी जाती है तो सोहनदास व नारायण और आसदास के भूखण्ड में गली स्थित होना पाई जाती है। जबकि प्रार्थी के भूखण्ड मे उक्त गली नाप करने पर नही आती है मातहत अदालत द्वारा स्टेडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा मौका सही रूप से नहीं दिखाया गया है स्टेंडिंग कमेटी के रिपोर्ट एक तरफा व मनमाने तौर पर अप्रार्थीगण को लाभ पहुचाने के उद्येश्य से की गई है। मातहत अदालत द्वारा उक्त तीनों घरों का नाप जोख लिये बिना प्रार्थी के पटटा गली आम पर बताना कतई बिना नाप जोख के व पैभाईश के बिना सिद्ध नही होता है इसलिए निगरानीकृत निर्णय अपास्तनीय है।

4. सायल के उतर में कभी कोई आम रास्ता नही ना ही 50 वर्षो तक वहां कोई रास्ता किसी ने देखा है यदि कोई पटटे में सोहनदास, आसदास और नारायण दास के दक्षिण में कोई गली थी उक्त तीनों ने उसी पर कब्जा कर लिया और स्वयं ने उस गली पर निर्माण करवा लिया सायल के उतर से नारायणदास, दक्षिण में शंकरलाल पूर्व में अमराराम और पश्चिम में गली ह तथा सायल अपने पटटे में वर्णित नाप उतर में 104 फुट और दक्षिण में 104 फुट, पूर्व की और 37 फुट और पश्चिम में 15 फुट जो माप दिखाया गया है उस पर काबिल सायल ने कभी कोई गली पर अतिक्रमण नही किया सायल के दक्षिण में मनीराम का भूखण्ड है तथा नारायणदास के घर का मुख्य गेट उतर में मुख्य गली में खुलता है सोहनदास व आसदास के घर के दक्षिण में कोई गली नही है। अप्रार्थी स0 1 बृजलाल का कोई पटटा नही है तथा अप्रार्थी स0 3 काशीराम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(हनुमानगढ़)

का भी कोई पटटा नही है तथा अप्रार्थी स0 4 का भी कोई मकान नही है तथा सोहन ब्राहमा का उतर व दक्षिण में दोनों तरफ गेट खुलता है जिसने कभी भी कोई गली की मांग नही की तथा बृजलाल, काशीराम व महिपत तीनों व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्हें मातहत अदालत के समक्ष अपील करने का कोई अधिकार नही था उन्होंने द्वेषता पूर्ण अपील प्रस्तुत की है उपरान्त कानूनी तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार, निगरानीधीन निर्णय खारीज किये जाने योग्य है।

5. मातहत अदालत ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 22.05.2017 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान के दौरान राज. पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत उतर की और 104 फुट दक्षिण की और 104 फुट पूर्व की और 37 फुट पश्चिम की और 15 फुट का आवासीय भूमि का पटटा जारी किया हुआ है। जिसमें प्रार्थी महेन्द्र के पक्ष में दिनांक 22.05.2017 को जारी पटटा भूखण्ड के उतर की और 16 गुणा 104 फुट क्षेत्र की जगह की हद तक अवैध घोषित किया है तथा शेष को वैध माना है। जबकि कानूनी तौर से कोई पटटा आंशिक तौर से अवैध नही माना जा सकता है। मातहत अदालत ने सोहनदास पुत्र चन्द्रदास के पक्ष मे दिनांक 16.10.1979 को जारी क्रमांश पटटा स0 22, 21, व 20 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो 16 फुट गली दिखाई गई है वह काम में नही आने के कारण उक्त पटटों की जगह में सम्मिलित करके सोहनदास, आसदास, सुखदास व नारायण ने अपने हकों में सम्मिलित कर लिया तथा मातहत अदालत ने उपरोक्त दिनांक 16.10.1979 में जारी पटटो व उनकी जगह का आसा–पासा का नाम जोख नही किया अर्थात उनकी लम्बाई चौडाई का नाप किये बिना मातहत अदालत ने 16 फुट गली पर अतिक्रमण कतई गलत तौर माना है। इसके अतिरिक्त स्टेंडिंग कमेटी ने भी उक्त घरों का नाप नही किया तथा बिना नाप किये 16 फुट गली पर प्रार्थी का पटटा कैसे आया इसके संबंध में कोई स्पष्ट कारण नही दिया है उक्त 16 फुट गली पर सोहनदास, आसदास, सुखदास व नारायणदास ने अपने जारी पटटा शुदा भूखण्डों में सम्मिलित करके मकानात बना लिये जिसके भूखण्डों के नाप मातहत अदालत ने नाप करने से गली का नाप नही लिया जा सकता दोनों तरफ के भूखण्डों से ही नाप सम्भव था इसलिए स्टेंडिग कमेठी द्वारा दी गई रिपोर्ट अधुरी व अस्पष्ट है तथा एकपक्षीय व मनमाने तौर से तैयार की गई है। इसलिए निगरानीधनी निर्णय अपास्तनीय है।

6. निगरानीधीन पारित करते समय मातहत अदालत ने वैकेकीय मस्तिष्क का प्रयोग नही किया जब सोहनदास आदि स्वामी परिवार के पटटे दिनांक 16.10.1979 को बने थे। उन्होनें गली आम में काम आने से खुद ने ही तामीरात कर ली तथा प्रार्थी का घर भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (हनुमानगढ़)

करीबन 70 वर्ष पुराना है। जब इतने वर्षो में ही गली आवश्यक नहीं हुई तथा अचानक क्या आवश्यकता हो गई। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण में मौके पर उक्त गली में ना ही तो मकान है ना उनके कोई पटटे है इसलिए वे व्यथित पक्षकार नही थे। दफा 96 सीपीसी के प्रार्थना के बिना मातहत अदालत के समक्ष अपील पेश की गई थी इसलिए उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर मातहत अदालत ने गैर कानूनी ढंग से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

अतः निगरानी प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 05.10.2018 प्रकरण सं037/2017 बअदालत श्रीमान प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर बअनवानी बृजलाल आदि बनाम महेन्द्र आदि को अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निगरानी मिमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी ने नारायणदास के पटटा शुदा भूखण्ड के दक्षिण की ओर 16 फुट चौड़ाई में गली को सम्मलित करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.05.2017 को विधिवत तौर से पटटा बनवा लिया जबकि मातहत अदालत ने सड़क का गलियान पर जारी पटटे को गैर कानूनी ढंग से खारीज कर दिया जबकि हमारा मकान करीब 60 वर्ष पुराना है। अप्रार्थीगण द्वारा याचित रास्ता पर कभी कोई आवागमन नही रहा और प्रार्थी के भूखण्ड में कभी कोई 16 फुट गली नही रही है। सोहनदास, आसदास व निरायणदास के भूखण्ड प्रार्थी की उत्तर में स्थित 16 फुट गली जो उक्त तीनों के दक्षिण में 16 फुट गली जो प्लॉट में दिखाई गई है उक्त गली को सम्मलित कर सोहनदास, , आसदास व निरायणदास ने उक्त गली को अपने भूखण्ड में सम्मलित करते हुए अपने मकानात बना लिये है। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 22.05.2017 को जारी पटटा भूखण्ड के उत्तर की और 16 गुणा 104 फुट क्षेत्र की जगह की हद तक अवैध घोषित किया है तथा शेष को वैध माना है जबकि कानूनी तौर से कोई पटटा आंशिक तौर से अवैध नही माना जा सकता है। अतः हमारी निगरानी स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की निरायणदास, आसदास व सोहनदास के पक्ष में जारी पटटों में उनके पटटा शुद्वा भूखण्डो के दक्षिण में 16 फुट गली आम दर्शायी गई है। उक्त आम गली का पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई विधिक अधिकार नही है ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि का ही पटटा जारी कर सकती है। सोहनदास, निरायणदास व आसदास को जारी पटटे क्रमशः 22, 21 व 20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उक्त पटटो के दक्षिण में 16 फुट गली दर्शायी गई है जो की आम गली है जिस पर ये अपना कब्जा बता रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी पटटा भूखण्ड के उत्तर की ओर 16 गुणा 104 फुट क्षेत्र की जगह की हद तक का पटटा अवैध घोषित किया है जो की विधिवत रूप से सही अवैध घोषित किया है। अतः निगरानी खारीज फरमावें।

बहस पर मनन किया व पत्रावली व अधिनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली व अधिनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत समिति प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है निर्णय दिनांक 05.10.2018 यथावत रखा जाता है।

अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता चौधरी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ)